"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी 2002—फाल्गुन 1, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2002

वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2002 है.

संक्षिप्त नाम.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग **एक सौ बाईस करोड़, उन्चास लाख, तिरयान्वे हजार, दो सौ रुपया** होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये राज्य की संचित निधि में से 122,49,93,200 रुपयों का दिया जाना.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)		(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	1,00,000	1,00,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	36,35,000	0	36,35,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	80,000	0	80,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	73,96,000	0	73,96,000
10	वन	राजस्व	6,70,00,000	0	6,70,00,000
11	वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,99,000	0	4,99,000
13	कृषि	राजस्व	1,82,73,000	0	1,82,73,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,29,000	0	10,29,000
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	5,04,00,000	0	5,04,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	1,84,90,000	0	1,84,90,000
18	श्रम	राजस्व	27,56,000	0	27,56,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,10,56,000	0	1,10,56,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	1,63,30,000	0	1,63,30,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	19,98,000	0	19,98,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	15,23,93,200	0	15,23,93,200
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,18,79,000	0	6,18,79,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	16,75,000	0	16,75,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	25,72,000	0	25,72,000
36	परिवहन	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	11,40,000	0	11,40,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	14,86,77,000	0	14,86,77,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	5,07,91,000	0	5,07,91,000
48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	राजस्व	2,55,82,000	0	2,55,82,000
		पूंजी	62,80,000	0	62,80,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	77,000	0	77,000
53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,88,76,000	0	1,88,76,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	89,73,000	0	89,73,000

(1)	(2)			(3)	(4)
			रुपये	रुपये	रुपये
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	2,88,00,000	0	2,88,00,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	61,40,000	0	61,40,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	67,06,000	0	67,06,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	19,00,000	0	19,00,000
78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	38,10,000	0	38,10,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,76,63,000	0	1,76,63,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	32,58,85,000	0	32,58,85,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	94,68,000	0	94,68,000
82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	13,86,00,000	0	13,86,00,000
83	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	68,64,000	0	68,64,000
	योग	**राजस्व**	**1,06,32,30,200**	**0**	**1,06,32,30,200**
		पूंजी	**16,16,63,000**	**1,00,000**	**16,17,63,000**
	वृहद योग		**1,22,48,93,200**	**1,00,000**	**1,22,49,93,200**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित हैं.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 14 फरवरी, 2002.

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.